



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20022023-243698
CG-MH-E-20022023-243698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 707]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2023/माघ 28, 1944

No. 707]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2023/MAGHA 28, 1944

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्र

मुंबई, 17 फरवरी, 2023

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 242160 दिनांक 20.01.2023 के संबंध में, नीचे उल्लिखित अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

का.आ. 737(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है 1 की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिये, वह भूमि, जिसका संश्लिष्ट विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के जलगाँव जिले में "पचोरा - जामनेर का विस्तार मल्कापुर - नैरो गेज से ब्रॉड गेज" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिये अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपयुक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (1) (यूटीपीएच) तालुका - जलगाँव, जिला जलगाँव महाराष्ट्र को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधी व्यावसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की

सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि के अन्य ब्योरो उपलब्ध है और हितवद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगाँव जिले में तालुका जलगाँव के अंतर्गत 05 गावों का सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (1) (यूटीपीएच) जलगाँव कार्यालय जलगाँव तालुका - जलगाँव, जिला जलगाँव, के अधीन विशेष रेल परियोजना “पचोरा - जामनेर का विस्तार मल्कापुर - नैरो गेज से ब्रॉड गेज” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ.क्र.	भू संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	12/7 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भू धारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर/चौ.मी.)	संपादन क्षेत्र (हे.आर/चौ.मी.)
2	13/2022	वरखेड़ी	पचोरा	वसंत आनंद पाटिल और अन्य 3	43	1	2.58	0.070
4	13/2022	वरखेड़ी	पचोरा	एकनाथ कौतिक पाटील और 2 अन्य	61	1	1.06	0.060

[फा. सं. AQ/PC-JMNR/SPL/2023/Feb/20A/Corrigendum]

विवेक कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(CENTRAL RAILWAY)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 17th February 2023

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 240531 DATED 23-11-2022, THE PARA MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

S.O. 737(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Pachora - Jamner with extension upto Malkapur - Narrow Gauge to Broad Gauge**” in the district of Jalgaon in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely **Special Land Acquisition Officer (1) (UTPH) Jalgaon, Taluka: Jalgaon District Jalgaon**, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project “**Pachora - Jamner with extension upto Malkapur - Narrow Gauge to Broad Gauge**” in **05 village in Jalgaon Taluka** under Competent Authority for Land Acquisition Special Land Acquisition Officer (1) (UTPH) Jalgaon, Taluka: Jalgaon District Jalgaon in the State of Maharashtra.

S. No.	Land Acquisition Case No.	Name of the village	Taluka	As per 7/12 Land Holder's Name	Survey No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 (H.R./Sqm)	Acquisition area (H.R./Sqm)
2	13/2022	Varkhedi	Pachora	Vasant Anand Patil and others 3	43	1	2.58	0.070
4	13/2022	Varkhedi	Pachora	Eknath Kautik Patil and 2 others	61	1	1.06	0.060

[फा. सं. AQ/PC-JMNR/SPL/2023/Feb/20A/Corrigendum]

VIVEK KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Construction)